

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए।

या इस कारण मैं उचित मायालय में हाजिर
नहीं थे तथा मेरे वकील के कम्प्लेंट
नहीं कर सका। अन्यान्य उदरण में पुनरावृत्ति
होने दिनांक 06-09-2024 निमित्त श्री. लोकि
मैं मेरे पिता के इलाज में व्यस्त होने
के कारण मेरे वकील के कम्प्लेंट नहीं कर
सका इसलिए मैं व मेरा वकील तारीख
पेशी पर हाजिर कयालत होने में कम्प्लेंट
करने से अनवान जायगी, परन्तु आन पैसों
में खालि के गमा या जयों के किरा
खर्चा बीमारी के इलाज के खर्चों कम्प्लेंट
के खीर जायगी, या बटापसगी की दरख्वास्त
पेश करने में कम्प्लेंट कर। क्रम: विवेकन
है कि जायगी, या स्थान प्रयाप्त नाम
खल जायगी, या उपाय कम्प्लेंट कयाप
तदर्थीलागू संघर्ष क-तर्गि धारा 136
राजस्थान यू-राजप आधिनिजम, 1956
को पुनः गंवा या लेन का काउंटे-
प्रजावे।

तदनी अधिवक्ता हकी एकपक्षीय
कडक हुनी जमा इक पर प्रमन डिमा जया
जायगी, या क-तर्गि धारा 5 म्याड आधिनिजम
या हुना जया अधिवक्ता जरी/वादीग
अनुवरीरथ अदाएत हाजिर नहीं ये है
वाक कपम यजिरी के खालि ये गमा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हु

कतः प्राप्ति-पत्र कतगति धारा 5 भाद
अधिनियम प्राप्ति-पत्र के तहत में मुद्रा
देई जो क्षम्य कतगति पर रखी प्रत्येक
कतः प्राप्ति-पत्र कतगति धारा 5 भाद
अधिनियम में प्राप्ति-पत्र के तहत में
मुद्रा देई क्षम्य के योग्य क्षेत्र के
क्षम्य की जाती है।

इसके अधिनियम की रूप धारण
करता हुने गरी। पत्रावली एवं उक्त पर
प्रोबूड दस्तावेजात को अधिनियम अधिनियम
दिया गया। पत्रावली में प्राप्ति-पत्र द्वारा
कतगति मुद्राओं की पैरवी के लिए अधिनियम
नियुक्त किया हुआ था। अधिनियम को
अनुसूचित प्राप्ति-पत्र है कि वे मुद्रा में
प्राप्ति से प्रत्येक को कतगति अधिनियम
प्रत्येक की कतगति मुद्राओं के लेखा रखा
है। प्राप्ति द्वारा अधिनियम नियुक्त
दिया हुआ है कि प्राप्ति-पत्रावली में
नियुक्त तारीख पैरवी पर अधिनियम में
दिया। कतः अधिनियम प्राप्ति-पत्र के तहत
पर मुद्रा देई तबकीही मुद्रा के कतगति में
न्याय के वंचित करण उचित प्रतीत नहीं
है तथा वाद के निराकरण के लिए उक्त

उपजुद्ध अधिकारी
सांबौर (जाबौर)

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए।

गुमानगुण पर तिलाज डिमा जल मान्य
 हैं। अतः प्राचीन-पत्र अन्तर्गत आदेश 03
 दिनांक 4 सी. पी. सी. स्वीका डिमा जल
 पूरा बाद अन्तर्गत धारा 134 खखख
 2- राजल अन्तर्गत व अन्तर्गत प्रकाशक
 बनाए गए जरीपे सद्वीपदत केर प्रकाश
 लेख - 02/2020 को प्रकाशक के
 लेख 3 कादेश रादिपे जाते हैं प्रकाश
 प्राचीन-पत्र अन्तर्गत धारा 134 खखख
 2- राजल अन्तर्गत 1952 दिनांक 03.
 10.2020 को प्रकाशक के प्रकाशक
 तारीख के प्रकाशक के प्रकाशक
 निर्दिष्ट आज दिनांक 19.09.2020 को प्रकाश
 2- इजलास जमाना गया।

प्रकाशक के प्रकाशक

के प्रकाशक के प्रकाशक की जाकर
दाखिल दस्तावेज दें।

अधिकारी
सांचौर (जालोर)